11-2-25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजें लगवायी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से वादीगण का वादपत्र अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।